वित्त निर्देश 48/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 337/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-शासकीय सेवकों द्वारा पात्रता न होने पर भी हवाई यात्रा किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 45/सी-18029/वि/नि/चार/2011 दिनांक 01 मार्च, 2011

संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की पुनरीक्षित दरें निर्धारित की गई है। उक्त ज्ञापन की कंडिका-3 के अनुसार छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 21 के अंतर्गत हवाई यात्रा की पात्रता का निर्धारण किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

(अ) एच.ए.जी. वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(ब) 8700 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(स) 7600 या इससे अधिक किन्तु 8700 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

2. संदर्भित ज्ञापन में विभागों से यह सुनिश्चित करने हेतु भी कहा गया था कि यात्रा सक्षम स्वीकृति उपरांत ही की जाए। राज्य शासन के ध्यान में आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा हवाई यात्रा संबंधी उपरोक्त निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है एवं अपात्र अधिकारियों एवं कई बार अत्यंत कनिष्ठ अधिकारियों को भी दिल्ली एवं देश के अन्य स्थानों पर हवाई यात्रा हेतु अनुमति दी जाकर, वित्त विभाग से कार्योत्तर स्वीकृति चाही जाती है। इन प्रकरणों के विवेचना से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश मामलों में आरक्षण उपलब्ध न होने, बैठक इत्यादि की सूचना देर से प्राप्त होने इत्यादि कारण दर्शाते हुए प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति की प्रत्याशा में ऐसी स्वीकृति दी जा रही है, जो उचित नहीं है। राज्य शासन चाहता है कि विभाग मितव्ययिता के सिद्धांतों को ध्यान

में रखते हुए ऐसे प्रकरणों को हतोत्साहित करें तथा अत्यावश्यक परिस्थितियों में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करें :-

(i) भारत सरकार द्वारा दिल्ली अथवा देश के अंदर किसी शहर में आयोजित बैठकों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त न होने पर इन बैठकों में जिस स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, उसी स्तर के अधिकारी को अथवा विशेष परिस्थिति में केवल उससे एक स्तर कम के अधिकारियों को ही बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाये।

(ii) ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन पात्रता से कम (किन्तु 6600 से कम नहीं) हो तथा जिनकी बैठक में उपस्थिति अपरिहार्य एवं शासन के हित में हो, को प्रशासकीय विभाग की लिखित पूर्वानुमति से ही एकोनामी क्लास से हवाई यात्रा की अनुमति दी जाये तथा वापसी यात्रा यथा संभव पात्रता अनुसार ही की जाये। ऐसी स्वीकृति के पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करे कि ऐसी अनुमति केवल अपरिहार्यता के कारण शासकीय हित में दी गई है तथा स्वीकृति आदेश में भी ऐसे औचित्य का उल्लेख करें।

(iii) ऐसे प्रकरण जिनमें प्रशासकीय विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है तथा कंडिका (i) एवं (ii) का पालन किया गया है, सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात् यात्रा की अपरिहार्यता का कारण दर्शाते हुए यात्रा से संबंधित बैठक इत्यादि का सूचना-पत्र, यात्रा टिकट की छायाप्रति तथा सुस्पष्ट संक्षेपिका के साथ यात्रा तिथि के एक माह के भीतर कार्योत्तर स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जाये। उपरोक्त जानकारी के अभाव में वित्त विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकेगा। **यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उक्त कंडिकाओं का पालन नहीं किया गया है, उन पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाएगी।**

(3) ये निर्देश दिनांक 01.10.2011 या इसके पश्चात् प्रारंभ की गई यात्राओं पर लागू होंगे।

(4) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी यात्राओं हेतु किए गए व्यय विभाग के चालू वर्ष के बजट प्रावधानों के अंतर्गत हो।

(5) यह ज्ञापन पूरक निर्देश के रूप में है, अतः इसे वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों का शिथिलीकरण नहीं माना जाएगा।

(6) संदर्भित ज्ञापन के अन्य निर्देश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 338/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravindran

(विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी)
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग